रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2002/भाद्र 21, 1924
No. 186] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2002/BHADRA 21, 1924

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2002

सं. 7-1/92-के.हो.प.—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (ड), (ढ), (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में :—

(अ) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ii) में अंकों और शब्दों ''रजिस्ट्रीकरण हेतु रुपये 25.00 तथा रुपये 100.00 सेवा प्रभार'' के स्थान पर ''रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र), रुपये 200.00 रजिस्ट्रीकरण शुल्क तथा रु. 800.00 सेवा प्रभार सहित'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(आ) प्ररूप ''ख'' पैरा-II. खण्ड (iii) में अंकों और शब्दों ''रुपये 10.00 (रुपये दस मात्र)'' के लिए अंकों और शब्दों ''रुपये 60.00 (रुपये 50.00 सेवा शुल्क सहित)'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(इ) बशर्ते विनियम 9 के उप-विनियम (5) के लिए अंक व शब्द ''रुपये 25.00'' के लिए अंकों और शब्दों ''रुपये 75.00 (रु. 25.00 पुन:स्थापन प्रभार तथा रु. 50.00 सेवा प्रभार)'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ई) प्ररूप 'च', क्र. सं. 3 पर, अंक व शब्दों ''रुपये 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र)'' के लिए अंक और शब्दों ''रुपये 75.00 (रुपये 25.00 पुन:स्थापन के लिए तथा रु. 50.00 सेवा प्रभार)'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(उ) प्ररूप 'छ' पैरा 8 में शब्दों ''रुपये पच्चीस'' के लिए अंक व शब्दों ''रुपये 75.00 (रुपये 25.00 पुन:स्थापन तथा रुपये 50.00 सेवा प्रभार)'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

डा. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार

[सं० विज्ञापन III/IV/असाधा./147/02]

2871 GI/2002

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक 2, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मई, 1983 और तत्पश्चात् संशोधन राजपत्र के उक्त खंड में 7 मार्च, 1995 को प्रकाशित किये गए।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2002

No. 7-1/92-CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (m), (n) and (o) of Sub-Section (1) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, to amend the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982 namely:—

1 **Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Registration) Amendment Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *In the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982* :—

(a) in regulation 4, Sub-Regulation (2), clause (ii), for figure and words "Rs. 25.00 for Registration and Rs. 100.00 as service charges", "Rs. 1000/- (Rs. One Thousand only) including Rs. 200.00 as registration fee and Rs. 800.00 as the service charges" shall be substituted;

(b) in Form B, paragraph II, clause (iii), for the figure and words "Rs. 10.00 (Rupees ten only), the figure and words "Rs. 60.00 (including service charges of Rs. 50.00)" shall be substituted;

(c) in the Proviso, in sub-regulation (5) of regulation 9 for the letters and figure "Rs. 25.00", the letters and figure "Rs. 75 00 (Rs.25.00 for restoration fee and Rs. 50.00 as service charges)" shall be substitued;

(d) in Form 'F', at Sl. No.3, for the figure and words "Rs. 25.00 (Rupees Twenty-five only)", the figure and words "Rs. 75.00 (Rs 25.00 for restoration and Rs. 50.00 as service charges)" shall be substituted;

(e) in Form 'G' in 8th Para for the words "Rupees Twenty Five", the figure and words "Rs. 75.00 (Rs. 25 00 for restoration and Rs. 50.00 as service charges)" shall be substituted.

Dr. LALIT VERMA, Registrar

[No. ADVT III/IV/Exty./147/02]

FOOT NOTE.—The Principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification No. 2, Extraordinary, Part III, Section 4, dated May 11, 1983 and subsequent amendments were published in the said Section of the Gazette on March 7, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.